

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर , 2016

संख्या 23/मनो0-1/पं0 अ0 16/1955/धा0.3/2016. – पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 3 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, निषेध, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 89/पं0अ0 16/55/धा0 3/2001, दिनांक 29 जून, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, निषेध, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 89/पं0अ0 16/55/धा0 3/2001, दिनांक 29 जून 2001 में,-

- (i) क्रम संख्या (i)क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा; तथा
- (ii) क्रम संख्या (ii) के सामने, "शुल्क की दर" खाना के नीचे, "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9 November, 2016

No. 23/Entt.1/P.A.16/1955/S.3/2016. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with the first proviso to Sub-section (2) of section 3 of the Punjab Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Prohibition, Excise and Taxation Department, Notification No.S.O.89/P.A.16/55/S.3/2001, dated the 29th June, 2001, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Prohibition, Excise and Taxation Department, Notification No.S.O.89/P.A.16/55/S.3/2001, dated the 29th June, 2001, -

- (i) serial number (ia) and entries thereagainst shall be omitted; and
- (ii) under column "Rate of Duty", against serial number (ii), for the words "twenty five percent", the words "fifteen percent" shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.